

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल :jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प.4(ई)/निप/(SBC)(लिंक नं.-43401/2013)/अलेसे-III/562

दिनांक :- 16/7/2021

आदेश संख्या- 423/2021-22

पुलिस अधीक्षक (प्रशासन), भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक भ्रनिब/अशा/3/21/2024-26 दिनांक 12.07.2021 द्वारा श्री सजन सिंह गुर्जर, कनिष्ठ लेखाकार, लिंक नंबर-43401 कार्यालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर तृतीय जयपुर द्वारा दिनांक 09.07.2021 को 23 लाख रुपये (तेईस लाख रुपये) बतौर रिश्वत मांग कर प्राप्त करने पर गिरफ्तार किये जाने एवं इनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 257/2021 दिनांक 12.07.2021 पंजीबद्ध करने की सूचना प्रेषित की है।

राजस्थान सिविल सेवा (सी.सी.ए) नियमों के नियम-13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में श्री सजन सिंह गुर्जर, कनिष्ठ लेखाकार, को गिरफ्तारी दिनांक 09.07.2021 से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन काल में उनका मुख्यालय कोषालय अलवर में रहेगा।

श्री सजन सिंह गुर्जर, कनिष्ठ लेखाकार, को निलम्बन काल में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 53 के अन्तर्गत नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।



(भूपेश माथुर)
निदेशक

क्रमांक :- प.4(ई)/निप/(SBC)(लिंक नं.-43401/2013)/अलेसे-III/562

दिनांक :- 16/7/2021

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. पुलिस अधीक्षक (प्रशासन), भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. कार्यालय राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. कोषाधिकारी अजमेर /अलवर
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में प्रविष्टी करने हेतु।
6. श्री सजन सिंह गुर्जर, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को पालनार्थ।
7. निजी सचिव, निदेशक।
8. जांच शाखा / एसीआर शाखा, / डीपीसी शाखा, / पदस्थापन सीट।
9. रक्षित पत्रावली / निजी पत्रावली।



(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)